न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—124/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00124)

1. अशोक पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र रामेश्वर
2. कृष्णगोपाल पुत्र रामेश्वर
3. हरिशंकर पुत्र रामेश्वर
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
4. सीता पुत्री रामेश्वर पत्नि श्याम जी जाति ब्राहमण निवासी करमावास मालियान वाया कुशालपुरा जिला पाली।
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 11/2017

उपस्थितः—

1. श्री अभिषेक कौशिक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गौतम टांक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05

निर्णय

दिनांकः—06.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, ने वाद को दर्ज कर नोटिस प्रतिवादी को जारी किए गए। जिस पर प्रतिवादी ने उपस्थित होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित कथनों को स्वीकार करते हुए वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट प्रत्येक का 1/5 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित होने का कथन को स्वीकार करते हुए उक्तानुसार बंटवारा करते हुए उक्त वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, केकडी अपने निर्णय डिक्री दिनांक 9.6.2017 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी गई और तत्पश्चात अंतिम डिक्री दिनांक 28.5.2018 का पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि वादी/अपीलांट को विवादित आराजी के बंटवारा प्रस्ताव बनाने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं उसकी अनुपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया और ना ही अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व भी वादी/अपीलांट टैगोर सीनियर सैकण्ड्री स्कूल कुचामनसिटी नागौर में कार्यरत है जिस कारण वह ग्राम कादेडा तहसील केकडी में नहीं रहता है एवं अपनी धर्मपत्नि के ईलाज हेतु उपरोक्त अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2018 के वक्त उदयपुर इन्द्रा आईवीएफ हॉस्पिटल प्रा0लि0 उदयपुर में लम्बे समय से मौजूद रहा जिसकी जानकारी भी विपक्षीगण को थी तत्पश्चात उपरोक्त तथ्यों को जानते हुए भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट ने जानबूझकर वादी/अपीलांट की गैर मौजूदगी में उपरोक्त निर्णय व डिक्री पारित करवा लिया गया जिसकी वादी/अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 7.7.2020 को हुई जिस पर प्रार्थी दिनांक 8.7.2020 को केकडी गया एवं निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दिनांक 8.7.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 8.7.2020 को नकल प्राप्त कर अपने घर गया एवं फीस आदि की व्यवस्था कर आज अजमेर आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवाई जाकर बिना किसी देरी के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री 28.5.2018 द्वारा वादी/अपीलांट के हक हिस्से में आई आराजी खसरा नम्बर 1770 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा बारानी–1 में आया हिस्सा कानूनी प्रावधान के विपरीत है क्योंकि वादी अपीलांट को उक्त आराजी खसरा नम्बर 1770 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में पीछे का हिस्सा दिया गया है एवं उपरोक्त खसरा नम्बर 1770 में वादी/अपीलांट को प्राप्त अपने हिस्से में आने जाने के लिए कोई आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं उपरोक्त खसरा नम्बर 1770 का जो हिस्सा जो प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के हिस्से में आया है वह मुख्य मार्ग के समीप होने से उसकी कीमत वादी/अपीलांट के हिस्से में आई आराजी नम्बर 1770 के हिस्से से कही अधिक है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं नियम 18 से 21 बाई मीटस एण्ड बाउण्डस होता है। जिसके तहत प्रत्येक सहखातेदार को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बराबर हिस्सा मिलता है। उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 1770 में वादी/अपीलांट को पीछे का हिस्सा देकर उपरोक्त

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

समस्त प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने वादी/अपीलांट को अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व बिना वादी/अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए ही वादी/अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री 28.5.2018 को पारित कर दी गई जो कि खसरा नम्बर 1770 की हद तक न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादी/अपीलांट को विवादित आराजी के बंटवारा प्रस्ताव बनाने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं उसकी अनुपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया और ना ही अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व भी वादी/अपीलांट टैगोर सीनियर सैकण्ड्री स्कूल कुचामनसिटी नागौर में कार्यरत है जिस कारण वह ग्राम कादेडा तहसील, केकडी में नहीं रहता है एवं अपनी धर्मपत्नि के ईलाज हेतु उपरोक्त अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2018 के वक्त उदयपुर इन्द्रा आईवीएफ हॉस्पिटल प्रा0लि0 उदयपुर में लम्ब समय से मौजूद रहा जिसकी जानकारी भी विपक्षीगण को थी तत्पश्चात उपरोक्त तथ्यों को जानते हुए भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट ने जानबूझकर वादी/अपीलांट की गैर मौजूदगी में उपरोक्त निर्णय व डिक्री पारित करवा लिया गया जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2018 पारित करने से पूर्व इस बात पर गौर नहीं किया कि जो बंटवारा प्रस्ताव बनाया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स 1955 के नियम 18 से 21) की पालना नहीं करते हुए बनाया गया है जो कि मेण्डटरी प्रावधान है उपरोक्त प्रावधान 18 से 21 के तहत तहसीलदार केकडी स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने का मेण्डेटरी प्रावधान है परंतु उपरोक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया गया है यही ही नहीं उपरोक्त बंटवारा प्रस्ताव वादी/अपीलांट की गैर मौजूदगी में बिना वादी/अपीलांटस को सूचित किए तैयार किया गया है जिस कारण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1770 में वादी/अपीलांट का हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तय नहीं किया गया है, जो कि कानूनी प्रावधान के विपरीत होने से मान्य नहीं है जिस कारण अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2018 काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर0आर0डी0 2017 पेज 679 न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में सदभाविक देरी के कारण दर्शाए है जो विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत मनगंढत तथा न्यायालय को जानबूझकर अंधेरे में रखकर गुमराह किया गया है क्योंकि प्रार्थी के धारा 5 मियाद अधिनियम में उन्होने यह कथन किया कि अपीलाधीन अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2011 के वक्त उदयपुर इन्द्रा आईवीएफ हॉस्पीटल में लंबे समय से उपस्थित था और यह भी कथन किया कि अपीलांट की गैर मौजूदगी में उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवा लिया था। जो कि कतई निराधार एवं मनगढत आरोप है क्योंकि अपीलांट की मौजूदगी में प्रार्थी के राजीनामा प्रपत्र दिनांक 9.6.2017 को अपीलांट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर विचारण न्यायालय केकडी के समक्ष सहमति पूर्वक राजीनामा प्रपत्र पेश कर उपरोक्त प्रकरण में राजीनामा से

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बंटवारे के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार ही अंतिम डिक्री पारित करने की सहमति प्रदान की थी उस सहमति की दिनांक 9.6.2017 थी दिनांक 9.6.2017 की न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 9.6.2017 में उनके हस्ताक्षर किए हुए है जिससे यह साबित होता है कि उन्होंने सहमति बाबत अंतिम डिक्री करने बाबत दिनांक 9.6.2017 को ही हस्ताक्षर कर दिए थे। जो कि अपीलांट के संज्ञान में था उन्हें विचारण न्यायालय केकडी को निर्णय व डिक्री की जानकारी थी इस कारण से अपीलांट ने जो देरी के सदभाविक कारण का उज्र न्यायालय के सामने लिया है वह झूठा व मनगढंत है आधार है विधि की दृष्टि में चलने लायक नहीं है कतई क्षमा योग्य नहीं है ना ही सदभाविक विलंब के कारणों में आते है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील डिक्री अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.5.2018 के प्रकरण संख्या 11/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जब कि अपीलाधीन आदेश पारित करने का मुख्य कानूनी आधार लोक भावना के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2018 पारित की गई है। उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र में वादी पक्ष अशोक कुमार जोशी के हस्ताक्षर है तथा प्रतिवादी पक्ष कृष्णगोपाल, महावीर तथा हरिशंकर के हस्ताक्षर है तथा राजीनामा प्रार्थना पत्र में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में सहमति दी है कि हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है तथा अपने हिस्सेनुसार बंटवारा करेंगे, तथा एक दूसरे के हिस्से में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तथा अन्य कोई केस वगैराह दायर नहीं करेगे उक्त आशय का राजीनामा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश होने पर ही उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा दिनांक 28.5.2018 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसकी किसी भी स्तर पर विधिक दृष्टि में लोक भावना एवं राजीनामा के आधार पर किए गए निर्णय की अपील दायर नहीं की जा सकती है इस कारण से भी अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने का आदेश न्यायहित में फरमावे। उपरोक्त उनवानी अपील का अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2018 को पारित करने का आधार अधीनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 9.6.2017 में स्पष्ट फाईण्डिंग दी गई है कि वादी/प्रतिवादी लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कादेडा में उपस्थित हुए वादी/प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया उक्त प्रस्तुत राजीनामा में अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करने हेतु साथ ही एक दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने के साथ ही अन्य कोई केस वगैराह दायर नहीं करने का राजीनामा पेश किया उक्त आधार पर ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब लोक अदालत में पेश किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/5 हिस्सा निहित है, तथा उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का बंटवारा कर दिया जाए उक्तानुसार ही एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र के अनुसार ही अंतिम डिक्री पारित कर दी गई इस कारण से भी अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में फरमावे। उपरोक्त अपील डिक्री में लोक अदालत की भावना से अपीलांट ने राजीनामा बाबत अपने हस्ताक्षर किए है वह अपनी सहमति लोक अदालत के समक्ष दी है तथा उस सहमति बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्ताक्षर किए है उक्त हस्ताक्षर को पीठासीन अधिकारी ने सत्यापित किए तथा अदालत मातहत के समक्ष अपने राजीनामा में अन्य कोई कार्यवाही नहीं करने बाबत की सहमति प्रदान

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

की थी फिर अपीलांट उक्त सहमति से मुकर्रर नहीं सकता उक्त सहमति से अपीलांट ऐस्टोप्ड है, तथा यहां पर उक्त प्रकरण में कानूनन ऐस्टोपल का सिद्धांत लागू होता है। उक्त एस्टोप्ल के सिद्धांत के विरूद्ध अपीलांट न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं कर साकता है तथा अपीलांट अपनी सहमति के बाहर नहीं जा सकता इस कारण से अपील पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर0एल0डब्लयू 2009 (1) आर0जे0 पेज 728, डी0एन0जे0(एस0सी0)2005 पेज 594, 2006 डी0एन0जे0(एस0सी0) पेज 764, 2018 आर0आर0टी0 पेज 1485.

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन के अनुसार वादी/अपीलांट टैगोर सीनियर सैकण्ड्री स्कूल कुचामनसिटी, नागौर में कार्यरत रहा है जिस कारण वह ग्राम कादेडा तहसील केकडी में नहीं रहता है एवं अपनी धर्मपत्नि के ईलाज के वक्त इन्द्रा आईवीएफ हॉस्पिटल प्रा0लि0 उदयपुर में लम्बे समय से मौजूद रहा, इसलिए उपरोक्त अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2018 की जानकारी नहीं होना बताया गया है। प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा किये गये कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। अतःप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

10. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अंतिम निर्णय व डिक्री 28.5.2018 पारित करने से पूर्व वादी को कोई सूचना नहीं दी गई क्योंकि आदेशिका में दिनांक 9.6.2017 के पश्चात पत्रावली में कोई आदेशिका का अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यही स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किए जाने से पूर्व सभी संबंधित खातेदारों व पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर समुचित रूप से तामिल नहीं करवाई गई थी और उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। प्रारंभिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने व उसके संबंध में आवश्यक सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया था। परीक्षण न्यायालय के समक्ष राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के कब्जानुसार बंटवारा कर 1/5 हिस्सा प्रत्येक वादी व प्रतिवादी किया गया जिस हेतु दिनांक 9.6.2017 को निर्णय पारित किया गया, परंतु अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 28.5.2018 में उक्त राजीनामे की मंशा के विपरीत किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

राजीनामा इस बात का हुआ कि 1/5, 1/5 हिस्सा जो जहाँ मौके पर काबिज काश्त है उसी अनुसार बंटवारा किया जाना चाहिए था एवं न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं नियम 18 से 21 बाई मीटस एण्ड बाउण्डस होता है जिसके तहत् प्रत्येक सहखातेदार को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बराबर हिस्सा मिलता हैं। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं नियम 18 से 21 बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के तहत् नहीं किया गया है तथा बिना तहसीलदार की उपस्थिति में एवं ना ही पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)–1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान के तहत् विभाजन का प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा ही बनाया जाना आदेशात्मक है। उक्त प्रकरण में जो बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 28.05.2018 को तैयार किया गया है वह केवल भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार, केंकडी को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं तैयार नहीं किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है तथा उनकी अनुपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है इस कारण पक्षकारान को अपनी आपत्ति बाबत सुनवाई का अवसर नहीं मिल पाया है। आदेशिका दिनांक 9.6.2017 में सभी पक्षकारों द्वारा प्राथमिक डिक्री हेतु सहमति प्रदान की है किंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र दिनांक 9.6.2017 में वादग्रस्त आराजीयात के खसरा नम्बर एवं रकबा किस पक्षकार के हक में कौन सा होगा? इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है। वादी/अपीलांट द्वारा केवल प्राथमिक डिक्री बाबत ही राजीनामा किया गया था किंतु उक्त राजीनामे के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के अंतिम डिक्री पारित की है, जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की मंशा के विपरीत है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.05.2018 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

06/11/2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner